नाम न्यायालय

केस संख्या

फर्द अहकाम

बनाम

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	8/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 3 उप0। अप्रार्थी सं. 3 की ओर जवाब पेश नहीं। जवाब बन्द किया जाता है। वास्ते बहस T.I. हेतु दि0 6/5/25 को पेश हो। उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)
	06/5/25	पत्रावली पेश [illegible] आज [illegible] संघ द्वारा कारण न्यायिक [illegible] जाने के पी0ओ0 साहब [illegible] जा सकी। अतः पत्रावली पूर्ववत [illegible] 10/6/25 पेश हो।
	10/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 3 उप0। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा गया। जवाब सुनाया गया। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Read
[signature] 9/7/24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट

सांगानेर द्वितीय जयपुर।

प्रार्थना पत्र संख्या: 87 / 2024

प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151

सी0 पी0 सी0

श्री लालचन्द पुत्र स्वर्गीय श्री गोविन्दराम आयु ..... वर्ष निवासी ग्राम महासिंहपुरा उर्फ कपूरावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान

—प्रार्थी—

बनाम

1 श्री जगदीश पुत्र स्वर्गीय श्री किशनलाल

2 लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व0 श्री किशनलाल

[illegible]

निवासीयान ग्राम महासिंहपुरा उर्फ कपूरावाला तहसील सां[illegible] जिला जयपुर राजस्थान

3 ममता पुत्री श्री कैलाश पौत्री किशनलाल नाबालिग [illegible] संरक्षक एवं नाना रामलाल निवासी ग्राम विरमपुरा, तहसील [illegible] जिला जयपुर राजस्थान

4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील [illegible] जिला जयपुर राजस्थान

—अ[illegible]

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा

लालचन्द

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र संख्या 09 / 2024
निर्णय दिनांक : 10.06.2025

उनवान

श्री लालचन्द पुत्र स्वर्गीय श्री गोविन्दराम आयु..........वर्ष निवासी ग्राम महासिंहपुरा उर्फ कपूरावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश पुत्र स्वर्गीय श्री किशनलाल
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व0 श्री किशनलाल
3. ममता पुत्री श्री कैलाश पौत्री किशनलाल नाबालिग जरिये संरक्षक एवं नाना रामलाल निवासी ग्राम बिरमपुरा, तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने उक्त उनवानी वाद बाबत् घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय के समक्ष अपने हितों एवं अधिकारों की रक्षार्थ एवं सुदृढ आधारों पर विधिवत रूप से प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रार्थी को सफलता की पूरी पूरी आशा है। प्रार्थी के पिता श्री गोविन्दराम पुत्र श्री जगन्नाथ के द्वारा कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 219 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 337 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 506 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 536 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 537 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 556 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा में हिस्सा 1/3 अर्थात 01 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 06 कुल रकबा 07 बीघा 07 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 519 रकबा 05 बिस्वा के 1/2 हिस्से का 1/2 हिस्सा, अर्थात उक्त खसरा नम्बर 519 का 1/4 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आराजी के पूर्व खातेदार श्री लादू पुत्र कल्याण एवं श्री रामकिशोर पुत्र श्री बालू निवासी ग्राम कपूरावाला, तहसील सांगानेर जिला जयपुर से दिनांक 14/11/1980 को क्रय किया जाकर कब्जा सम्पति प्राप्त कर लिया और तभी से लगातार उक्त खसरा नम्बरान की आराजी पर प्रार्थी निरन्तर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उपरोक्त आराजी के नया खसरा नम्बर निर्मित किये गये। उक्त राजस्व विभाग की प्रक्रिया के अनुक्रम में प्रार्थी के खसरा नम्बरान के नया खसरा नम्बरान निर्मित किये गये जो कि खसरा नम्बर 219 के नया खसरा नम्बर 297/1197 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 337 के नया खसरा नम्बर 509 रकबा 0.02 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 510 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 506 के नया खसरा नम्बर 902 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 536 नया खसरा नम्बर 918 रकबा 0.79 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 915/1244 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 537 के नया खसरा नम्बर 921 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 556 का नया खसरा नम्बर 926 रकबा 0.04 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 927 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 928 रकबा 0.68 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 519 के नया खसरा नम्बर 910 रकबा 0.04 हैक्टेयर जो खसरा मिलान क्षेत्रफल में स्पष्ट रूप से वर्णित है। प्रार्थी के द्वारा अपने स्वामित्व की सम्पति खसरा नम्बर–921 व खसरा नम्बर 910 का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पूर्व में ही अन्य व्यक्तियों को किया जा चुका है जिसका नामान्तरण भी अन्य व्यक्तियों के नाम इन्द्राज किया जा चुका है। प्रार्थी के पिता स्वर्गीय श्री गोविन्दराम जी के द्वारा क्रय की गयी आराजी के पुराने खसरा नम्बर 337 रकबा 03 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

के नये खसरा नम्बर 509 रकबा 0.02 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 510 रकबा 0.01 हैक्टेयर वादग्रस्त को अप्रार्थीगण के द्वारा जालसाजी पूर्वक फर्जी कार्यवाही कर राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर अपने नाम से इन्द्राज करवा लिया गया जिनका उन्हें कोई हक व अधिकार विधिक रूप से हासिल नहीं था। जबकि उक्त खसरा नम्बर की भूमि का उपयोग उपभोग प्रार्थी व उसके परिवार के द्वारा ही किया जा रहा है। अप्रार्थीगण के द्वारा बदनियतीपूर्वक कोई मिथ्या कार्यवाही कर जालसाजी पूर्वक राजस्व विभाग के कर्मचारियों से मिली भगत कर अवधि बन्दोबस्त में नये खसरा नम्बर 509 का रकबा 0.02 के स्थान पर 0.28 दर्ज करवा लिया गया तत्पश्चात नये खसरा नम्बर 509 रकबा 0.28 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 510 रकबा 0.01 हैक्टेयर का अपने नाम से मिथ्या इन्द्राज भी करवा लिया गया है तो उससे अप्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार हासिल नहीं हो जाते है और ना ही ऐसी कोई कार्यवाही से प्रार्थी के विधिक अधिकारों को अप्रार्थीगण के द्वारा प्रभावित ही किया जा सकता है और उकत कार्यवाही बमुकाबले प्रार्थी प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी है। उक्त चरण में वर्णित खसरा नम्बरान ही हस्तगत वाद व प्रार्थना पत्र में विवादित है। अप्रार्थीगण वर्तमान में प्रार्थी के अधिकारों के उक्त खसरा नम्बर 509 रकबा 0.02 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 510 रकबा 0.01 हैक्टेयर की भूमि का गलत इन्द्राजात की आड में बेचान करने के लिए भू–माफिया प्रकृति के लोगों को लेकर आये तथा मौके पर प्रार्थी व उसके परिवारजन मौजूद मिले तथा प्रार्थी के द्वारा उक्त व्यक्तियों से पूछने पर जानकारी हुई कि अप्रार्थीगण के द्वारा अपने अन्य खसरा नम्बरान के साथ साथ विवादित खसरा नम्बर 509 व खसरा नम्बर 510 की भूमि को बेचान करने का करार उनके साथ किया है और क्योंकि उक्त खसरा नम्बरों की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम से चढी हुई है इसी कारण उनके द्वारा विवादित खसरा नम्बरान की भूमि का करार अप्रार्थीगण से किया गया है। प्रार्थी के द्वारा उक्त व्यक्तियों के बतलाये जाने पर उनसे कथन किया गया कि विवादित खसरा नम्बर 509 व खसरा नम्बर 510 पर वर्ष 1980 से लगातार उनका कब्जा रहा है और वे अपनी खातेदारी सम्पति का प्रारम्भ से ही उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थी के उक्त कथन सुनकर अप्रार्थीगण व उनके साथ आये भू–माफियाओं ने प्रार्थी एवं उसके परिवारजनों को धमकी दी कि उक्त दोनों खसरा नम्बरान की भूमि को तुरन्त खाली कर दो अन्यथा तुम्हे जान माल का नुकसान उठाना पडेगा तथा इकरारनामे की प्रति मांगने पर स्पष्ट रूप से दिखलाने से भी इन्कार कर दिया गया। उक्त घटनाक्रम के पश्चात प्रार्थी के द्वारा तहसील जाकर वादग्रस्त खसरा नम्बरान के दस्तावेजात की जांच करवायी गयी तो प्रार्थी को जानकारी हुई कि प्रार्थी के पिता द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किये गये खसरा नम्बर पुराना खसरा नम्बर 337 नया खसरा नम्बर 509 व खसरा नम्बर 510 की खातेदारी अप्रार्थीगण के द्वारा सेटलमेन्ट के दौरान राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर फर्जी कार्यवाही कर स्वंय के नाम से इन्द्राज करवा ली गयी है जबकि उक्त विवादित खसरा नम्बर का कभी भी अप्रार्थीगण से कोई सरोकार नहीं रहा है। जिससे प्रार्थी के द्वारा वादग्रस्त खसरा नम्बरान से सम्बन्धित राजस्व रिकोर्ड की प्रतिलिपियॉ राजस्व विभाग से प्राप्त की गयी है। प्रार्थी अर्पने हक व अधिकारों के विवादित खसरा नम्बरान के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय से इस बाबत् घोषणा करवाने का अधिकारी है कि खसरा नम्बर 337 रकबा 03 बिस्वा नया खसरा नम्बर 509 रकबा 0.02 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 510 रकबा 0.01 हैक्टेयर का प्रार्थी हक व अधिकारी है और उक्त खसरा नम्बरान में अप्रार्थीगण के खातेदारी इन्द्राजात को हटाया जाकर प्रार्थी के नाम राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज करवाने हेतु आदेशित करवाये जाने का हक व अधिकारी है। प्रार्थी के हक व अधिकारों की सम्पति का अविधिक रूप से बेचान करने को अप्रार्थीगण तत्पर है और अप्रार्थीगण हमेशा नये नये व्यक्तियों को मौके पर लाकर प्रार्थी की सम्पति को दिखाता है किन्तु प्रार्थी के स्वंय वहां मौजूद मिलने पर अप्रार्थीगण अपने अनैतिक व अविधिक इरादों में सफल नहीं हो पा रहे है। प्रार्थी वर्तमान में वृद्धावस्था के दौर से गुजर रहा है और प्रार्थी को पूर्ण आशंका है कि अप्रार्थीगण कभी भी प्रार्थी को उसके हक व अधिकारों की आराजी से बेदखल कर सम्पति का बेचान कभी भी किसी भी व्यक्ति, भू–माफिया व संस्था इत्यादि को कर सकते है जिससे प्रार्थी के विधिक अधिकारो पर कुठाराघात होगा और प्रार्थी अपनी स्वामित्व की सम्पति से महरूम हो जायेगा और इसी कारण प्रार्थी अधिकारी है कि वो अप्रार्थीगण को इस आशय की

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (मालानेर)

अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा पावे कि वो प्रार्थी को निम्नांकित खसरा नम्बर 509 रकबा 0.02 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 510 रकबा 0.01 हैक्टेयर की भूमि से बेदखल नहीं करें, और ना ही उक्त कृत्य अपने एजेन्ट सर्वेन्ट, विधिक प्रतिनिधि से करे करावे। यदि अप्रार्थीगण को उक्त फैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो वे अपने उक्त मनसूबों में कामयाब हो जायेंगे जिससे प्रार्थी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी भाँति संभव नहीं हो पायेगी। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का पाईमाफेसी केस भली भाँति साबित है एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी सुदृढ़ साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को ता–फैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के मद नम्बर–4 में वर्णित भूमि पुराने खसरा नम्बर 337 रकबा 03 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 509 रकबा 0.02 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 510 रकबा 0.01 हैक्टेयर की भूमि को किसी अन्य व्यक्ति संस्था आदि को विक्रय हस्तान्तरण रहन, बय बख्शीश आदि नहीं करें करावे तथा प्रार्थी को उक्त भूमि से जबरन बेदखल कर कब्जा नहीं करे करावे, तथा उक्त भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित नहीं कर करावे, तथा प्रार्थी को उक्त भूमि के शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने व काश्त करने में किसी प्रकार की कोई बाधा व रुकावट उत्पन्न नहीं करे करावे तथा वादग्रस्त भूमि के मौके व राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या 3 उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 बावजूद डॉक रजिस्टरर्ड तामिल सूचना अनुपस्थित। दिनांक 23.07.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाने के आदेश दिये गये तथा पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश नही किया गया। दिनांक 08.04.2025 को अप्रार्थी संख्या 3 के जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अवसर बंद किये जाने के आदेश दिये गये व पत्रावली बहस प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु नियत की गयी।

बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या तीन के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराया गया। उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर हमने पाया की इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष निम्न तीन बिन्दू विचारणीय हैः– **(1) प्रथम दृष्टया मामला (2) सुविधा का संतुलन (3) अपूरणीय क्षति**

(1) प्रथम दृष्टया मामला– वादग्रस्त भूमि के अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी के पिता श्री गोविन्दराम पुत्र श्री जगन्नाथ के द्वारा कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 219 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 337 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 506 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 536 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 537 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 556 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा में हिस्सा 1/3 अर्थात 01 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 06 कुल रकबा 07 बीघा 07 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 519 रकबा 05 बिस्वा के 1/2 हिस्से का 1/2 हिस्सा, अर्थात उक्त खसरा नम्बर 519 का 1/4 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आराजी के पूर्व खातेदार श्री लादू पुत्र कल्याण एवं श्री रामकिशोर पुत्र श्री बालू निवासी ग्राम कपूरावाला, तहसील सांगानेर जिला जयपुर से दिनांक 14/11/1980 को क्रय किया जाकर कब्जा सम्पति प्राप्त कर लिया और तभी से लगातार उक्त खसरा नम्बरान की आराजी पर प्रार्थी निरन्तर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की अविभाजित संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका आज तक कोई विधिवत विभाजन नही हुआ है। प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की संयुक्त खातेदारी दर्ज है और उक्त वादग्रस्त आराजी का विधिवत तकासमा आज दिनांक तक नही हुआ है इस तथ्य को भी स्वीकार किया है एवं सभी सहखातेदार अपनी सहुलियत के हिसाब से वादग्रस्त सम्पति पर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रत्यक्ष रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी के पिता प्रार्थी के पिता स्वर्गीय श्री गोविन्दराम जी के द्वारा क्रय की गयी आराजी के पुराने खसरा नम्बर 337 रकबा 03 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 509 रकबा 0.02 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 510 रकबा 0.01 हैक्टेयर वादग्रस्त को अप्रार्थीगण के द्वारा जालसाजी पूर्वक फर्जी कार्यवाही कर राजस्व कर्मचारियो से मिली भगत कर अपने नाम से इन्द्राज करवा लिया गया जिनका उन्हें कोई हक व अधिकार विधिक रूप से हासिल नही था। जबकि उक्त खसरा नम्बर की भूमि का उपभोग उपयोग प्रार्थी व उसके परिवार के द्वारा ही किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में सफल रहा है, इसलिए उक्त बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में तय किया जाता है।

(2) सुविधा का संतुलन एवं (3)अपूरणीय क्षति

उक्त दोनों बिन्दूओं का सुविधा की दृष्टि से निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की संयुक्त खातेदारी दर्ज है, जबकि पार्थी के पिता श्री गोविन्दराम पुत्र श्री जगन्नाथ के द्वारा कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 219 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 337 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 506 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 536 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 537 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 556 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा में हिस्सा 1/3 अर्थात 01 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 06 कुल रकबा 07 बीघा 07 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 519 रकबा 05 बिस्वा के 1/2 हिस्से का 1/2 हिस्सा, अर्थात उक्त खसरा नम्बर 519 का 1/4 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आराजी के पूर्व खातेदार श्री लादू पुत्र कल्याण एवं श्री रामकिशोर पुत्र श्री बालू निवासी ग्राम कपूरावाला, तहसील सांगानेर जिला जयपुर से दिनांक 14/11/1980 को क्रय किया। अप्रार्थीगण ने जालसाजी पूर्वक फर्जी कार्यवाही कर राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर अपने ना से इन्द्राज करवा लिया बिना विधिवत विभाजन करवाये किसी भी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार द्वारा विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य कर लिया गया या विशिष्ट भू–भाग का विक्रय कर दिया गया तो वादों की बहुलता बढेगी एवं प्रार्थी को ही अधिक असुविधा होगी तथा अपूर्णनीय क्षति भी प्रार्थी व अप्रार्थीगण को होगी।

उक्त तीनों बिन्दू प्रार्थी साबित करने में सफल रहा है इसलिए उसके पक्ष में तय किये गये है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर दिनांक 12.08.2024 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे, ना ही किसी प्रकार कच्चा–पक्का निर्माण कार्य करें। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर